2005 में अधिसूचित, एनसीआर के लिए क्षेत्रीय योजना -2021 की मुख्य विशेषताएं

1. इस क्षेत्र (2005 में अधिसूचित, एनसीआर के लिए क्षेत्रीय योजना-2021 के अनुसार) में हरियाणा के आठ जिले, यूपी के पांच जिले और राजस्थान के एक जिला के अलावा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र-दिल्ली शामिल हैं।

2. अधिनियम, 1985 की धारा 10, उप-धारा (2) के अनुसार क्षेत्रीय योजना (क्षे. यो.)-2021 का उद्देश्य "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वृद्धि और संतुलित विकास करना है"। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निम्न्लिखित प्रकार से कोशिश की जाती है:

i) एनसीटी - दिल्ली के आर्थिक विकास के आवेग को अवशोषित करने में सक्षम क्षेत्रीय बस्तियों की पहचान और विकास द्वारा भविष्य के विकास के लिए उपयुक्त आर्थिक आधार प्रदान करना।
ii) इस तरह की पहचान की गई बस्तियों में संतुलित क्षेत्रीय विकास का समर्थन करने के लिए कुशल और लागत प्रभावी रेल और सड़क आधारित परिवहन नेटवर्क (बड़े परिवहन प्रणालियों सहित), भूमि उपयोग पैटर्न के साथ एकीकृत प्रदान करने के लिए।
iii) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास की प्रक्रिया में होने वाले प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए।
iv) एनसीटी- दिल्ली जैसे परिवहन, बिजली, संचार, पेयजल, सीवरेज, जल निकासी आदि के साथ शहरी अवसंरचनात्मक सुविधाओं के साथ चयनित शहरी बस्तियों को विकसित करना।
v) अच्छी कृषि भूमि की रक्षा और संरक्षण और शहरी उपयोग के लिए अनुत्पादक भूमि का उपयोग करने के लिए एक तर्कसंगत भूमि उपयोग पैटर्न प्रदान करना।
vi) जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्षेत्र में सतत विकास को बढ़ावा देना।
vii) संसाधन संग्रहण के मौजूदा तरीकों की दक्षता में सुधार करने और अभिनव तरीकों को अपनाने के लिए एवं वांछित दिशा में निजी निवेश को आकर्षित और उसके मार्गदर्शन के लिए।

3. क्षे.यो.-2021 की प्रमुख नीतियां और प्रस्ताव इस प्रकार हैं:

क) दिल्ली के विकास के आवेग के साथ चलने और क्षेत्र में शहरी और ग्रामीण कार्यों को एकीकृत करने की समग्र रणनीति के साथ, क्षे. यो.-2021 ने बस्तियों के छह स्तरीय अनुक्रम का प्रस्ताव दिया है, जो नीचे उल्लेखित है और उनकी व्यापक भूमिकाएं भी सामने रखी हैं।

- मेट्रो केंद्र: 10 लाख और उससे अधिक की जनसंख्या के साथ।
- क्षेत्रीय केंद्र: 3 से 10 लाख की जनसंख्या सीमा के साथ।
- उप-क्षेत्रीय केंद्र: 0.5 से 3 लाख की जनसंख्या सीमा के साथ।
- सेवा केंद्र: 10,000 से 50,000 की जनसंख्या सीमा के साथ।
- केंद्रीय गांव: 5,000 से 10,000 की जनसंख्या रेंज के साथ।

- सामान्य गांव: जनसंख्या की सीमा 5,000 से नीचे।

ख) एनसीआर के लिए क्षे.यो.-2021 ने सात मेट्रो केंद्रों (अर्थात् फरीदाबाद-बल्लभगढ़, गुड़गांव-मानेसर, गाजियाबाद-लोनी, नोएडा, सोनीपत-कुंडली, ग्रेटर नोएडा और मेरठ) और ग्यारह क्षेत्रीय केंद्रों जैसे- बहादुरगढ़, पानीपत, रोहतक, पलवल, रेवाड़ी- धारूहेड़ा-बावल, हापुड़-पिलखुआ, बुलंदशहर-खुर्जा, बागपत-बड़ौत, अलवर, ग्रेटर भिवाड़ी, शाहजहांपुर-नीमराना-बहरोर की पहचान की है।

ग) निचली अनुक्रम बस्तियों की पहचान और उनके कार्यों व उपयुक्त नीतियों और प्रस्तावों के निर्माण को उप-क्षेत्रीय योजनाओं में सुलझाया जाएगा।

घ) चार प्रमुख भूमि उपयोग क्षेत्रों और तीन उप-क्षेत्रों की पहचान की गई है और प्रत्येक क्षेत्र और उप-क्षेत्रों के लिए नीतियों और प्रस्तावों को निम्नानुसार दिया गया है:

<u>i) नियंत्रित / विकास / विनियमित ज़ोन</u>

इस क्षेत्र में विकास राज्य सरकार द्वारा तैयार और अधिसूचित मास्टर / विकास योजनाओं के अनुसार होना है। उनके संबंधित क़ानूनों के तहत इस क्षेत्र के भीतर, निम्नलिखित तीन उप-क्षेत्र होंगे:

क) शहरीकरण योग्य क्षेत्र (मौजूदा निर्मित / शहरी क्षेत्रों सहित): क्षे. यो. -2021 में जनसंख्या घनत्व के मानक सुझाए गए हैं। यह भी प्रस्तावित है कि शहरों के मास्टर / विकास योजनाओं को तैयार करते समय प्रत्येक शहरी गतिविधि के लिए आवश्यक भूमि की मात्रा को युक्तिसंगत बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए और प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्र (NCZ), नियोजित हरित क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, भूजल रिचार्जिंग क्षेत्रों और जल निकायों में किसी भी विकास की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। मास्टर / विकास योजनाओं को तैयार करते समय, प्रस्तावित विकास की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

ख) नियंत्रित / विकास / विनियमित क्षेत्र में कृषि (ग्रामीण) ज़ोन: क्षे.यो.-2021 के ज़ोनिंग नियमों में परिभाषित की गई गतिविधियों के अलावा अन्य गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जाएगी।

ग) हरित प्रतिरोधक: परिवहन नेटवर्क के 'राइट ऑफ वे' (RoW) के दोनों ओर न्यूनतम चौड़ाई को हरित प्रतिरोधक के रूप में बनाए रखने का प्रस्ताव दिया गया है। क्षे.यो.-2021 के ज़ोनिंग नियमों में परिभाषित की गई गतिविधियों के अलावा अन्य गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जाएगी।

ii) राजमार्ग कॉरीडोर ज़ोन (HCZ): इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण राजमार्गों के पास शहरी विकास को नियंत्रित करने के उद्देश्य से, नियंत्रित / विकास /विनियमित क्षेत्रों के बाहर गमनागमनाधिकार (RoW) के दोनों ओर न्यूनतम 500 मीटर की दूरी को एचसीजेड के

रूप में प्रस्तावित किया गया है। इसे संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा और इस क्षेत्र के लिए मास्टर / डेवलपमेंट प्लान तैयार किए जाएंगे।

iii) प्राकृतिक संरक्षण ज़ोन (NCZ): पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों के रूप में पहचाने जाने वाली प्रमुख प्राकृतिक विशेषताएं, राजस्थान, हरियाणा और एनसीटी-दिल्ली में अरावली रिज के विस्तार हैं; वन क्षेत्र; यमुना, गंगा, काली, हिंडन और साहिबी और उनकी सहायक नदियाँ; अभयारण्य; हरियाणा के उप-क्षेत्र में बडखल झील, सूरज कुंड और दमदमा झील और राजस्थान उप-क्षेत्र में सिलिसेर झील जैसे प्रमुख झील और जल निकाय; भूजल पुनर्भरण क्षेत्र आदि इन क्षेत्रों को NCZ के रूप में सीमांकित किया गया है और उनकी प्रभावी सुरक्षा और सुधार के लिए उपयुक्त नीतियां और प्रस्ताव तैयार किए गए हैं।

iv) नियंत्रित / विकास / विनियमित क्षेत्रों के बाहर कृषीय (ग्रामीण) ज़ोन: इस क्षेत्र को जिला योजना प्रक्रिया के तहत बनाए जाने वाले ग्राम और ब्लॉक योजनाओं द्वारा विनियमित और निर्देशित किया जाना है। प्रधान कृषि भूमि की सुरक्षा के लिए उपाय शुरू करने और गैर-कृषि / शहरी उपयोग में इसके रूपांतरण को रोकने तथा शहरी विस्तार / नए शहरी केंद्रों / विकास उद्देश्यों के लिए कम मूल्यवान भूमि का उपयोग करने का प्रस्ताव दिया गया है।

ङ) तीव्र शहरीकरण, पर्यावरणीय क्षरण को ध्यान में रखते हुए और क्षेत्र में क्रमिक विकास सुनिश्चित करने के लिए, व्यापक ज़ोनिंग विनियम, अर्थात उपरोक्त क्षेत्रों में अनुमत प्रमुख गतिविधियों को भी प्रस्तावित किया है।

च) आगे, यह प्रस्तावित किया गया है कि क्षेत्र के लिए विकास के लिए गतिविधियों को पूर्ण करते समय, क्षेत्र की क्षमता को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

छ) योजनाबद्ध तरीके से आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए, निम्नलिखित प्रमुख नीतियां प्रस्तावित की गई हैं:

- दिल्ली में उच्च तकनीक उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाना।
- दिल्ली में थोक बाजार केवल स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के लिए।
- नए समुदाय / जिला / उप-शहर केंद्रों में नए कार्यालय स्थान से बचा जाना चाहिए।
- एनसीआर में दिल्ली के बाहर औद्योगिक संपदा / विशेष आर्थिक क्षेत्र।
- माल के मुक्त प्रवाह और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए एनसीआर में समान कराधान।

ज) एनसीआर में सुगम यातायात परिसंचरण को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से, निम्नलिखित नीतियां और रणनीतियाँ प्रस्तावित की गई हैं:

- दिल्ली से गुज़रते हुए यातायात को मोड़ कर दिल्ली की सड़कों, रेल व रेल टर्मिनलों को भीड़ रहित करना।

• एनसीआर के बाहरी क्षेत्रों में मेट्रो / क्षेत्रीय शहरी बस्तियों के बीच संपर्क प्रदान करना।

• ऐसे केंद्रों और एनसीटी-दिल्ली के बीच यातायात की तेज आवाजाही के लिए एक कुशल और प्रभावी परिवहन नेटवर्क द्वारा मेट्रो / क्षेत्रीय केंद्रों को राजधानी से जोड़ना।

• ऐसे केंद्रों और बस्तियों के बीच यातायात की तेज आवाजाही की सुविधा के लिए उप-क्षेत्रीय केंद्रों को प्रभावी और कुशल परिवहन नेटवर्क से जोड़ना।

• अन्य शहरी नोड्स को सीधे लिंक करने के लिए जिनके पास अधिकतम आकर्षित करने और उत्पन्न करने की विशेषताएं हैं।

• एनसीआर के लिए यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी बनाना।

झ) यह माना गया है और इसकी पुष्टि की गई है कि बढ़ती परिवहन समस्या का समाधान एनसीटी-दिल्ली के बाहर की बस्तियों के विकास और कुशल कनेक्टिविटी प्रदान करने में निहित है। तदनुसार, यह प्रस्तावित किया गया है:

• सेंट्रल एनसीआर में रेल और सड़क संपर्क को ध्यान में रखते हुए गतिविधियों को विकसित करना और बेहतर पहुंच के साथ-साथ दिल्ली में परिवर्तित होने वाले मौजूदा परिवहन मार्गों पर दबाव को कम करना।

• एनसीआर के अंदर बसों, टैक्सियों और ऑटो-रिक्शा का अप्रतिबंधित आवागमन।

• कुछ अंतर-राज्यीय मुद्दों पर ध्यान।

• पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और तीव्र रेल पारगमन प्रणाली (आरआरटीएस) के विकास के माध्यम से क्षेत्र में बेहतर एकीकृत कनेक्टिविटी और पहुंच तैयार करना।

ञ) सतही और भूजल संसाधनों की रक्षा और संरक्षण के उद्देश्य से, यह प्रस्तावित किया गया है कि कम से कम 2-5% क्षेत्र को जल निकायों (प्राकृतिक और साथ ही रचनात्मक) के तहत चिह्नित किया जाना चाहिए। साथ ही गैर-पीने के प्रयोजनों के लिए पुन: चक्रित (recycled) और अपशिष्ट जल के पुन: उपयोग को बढ़ावा देने का प्रस्ताव भी किया गया है। विभिन्न माध्यमों से एक्वीफर का पुनर्भरण भी प्रस्तावित किया गया है। क्षेत्र में जल संसाधनों का ब्लू प्रिंट तैयार होने के बाद एकीकृत क्षेत्रीय जलापूर्ति योजना तैयार की जानी है।

ट) सभी शहरों में चरणबद्ध तरीके से सीवरेज प्रणाली शुरू की जानी है। छोटे शहरों / ग्रामीण क्षेत्रों को प्रारम्भ में कम लागत वाली सैनिटेशन सुविधा प्रदान की जाएगी।

ठ) कम से कम 50% ठोस कचरे का पुनर्नवीनीकरण किया जाना। स्थानीय पंचायतों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन लागू किया जाना है।

ड) ईडब्ल्यूएस (EWS) के लिए आवास प्रदान करने के लिए कार्य-सह-आश्रय अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए एनसीआर में डीडीए, दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार के संगठनों और विकास प्राधिकरणों के बीच सक्रिय सहयोग के साथ एक संयुक्त दृष्टिकोण अपनाना।

ढ़) राज्यों द्वारा भूमि उपयोग योजना में महत्वपूर्ण विरासत और पर्यटन स्थलों की पहचान और विकास नियंत्रण विनियमों के माध्यम से इन स्थलों की सुरक्षा।

ण) आपदा प्रबंधन के संबंध में, यह प्रस्तावित किया गया है कि रोकथाम-सह-तैयारी योजना और आपदा प्रबंधन योजना उप-क्षेत्रीय योजनाओं का एक अभिन्न अंग है। यह भी प्रस्तावित किया गया है कि प्राकृतिक और मानव निर्मित खतरों से संबंधित सुरक्षा पहलुओं को लागू करने के लिए अधिनियमों और नियमों, भवन उपनियमों आदि में आवश्यक संशोधन किए जाएं।

त) त्वरित ग्रामीण विकास की सुविधा के लिए, यह प्रस्तावित किया गया है कि सेवा केंद्र और केंद्रीय गांवों की पहचान उनकी विकास क्षमता और बुनियादी गांवों के लिए केंद्रीय कार्यों को करने की क्षमता के आधार पर की जाए। और उनके विकास प्रस्तावों को उप-क्षेत्रीय/जिला योजनाओं में शामिल किया जाना चाहिए। इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं प्रदान करने और गैर-पारंपरिक फसलों की खेती को बढ़ावा देने का भी प्रस्ताव है।

थ) काउंटर मैग्नेट क्षेत्र (CMA) के संबंध में, 2005 में अधिसूचित क्षे. यो.-2021 ने ग्वालियर, पटियाला, हिसार, कोटा और बरेली जैसे पांच सीएमए की पहचान की है। सीएमए को भौतिक और सामाजिक बुनियादी अवसंरचना के उन्नयन और क्षेत्रीय लिंकेज और आर्थिक सुदृढ़ीकरण के माध्यम से विकसित करने का प्रस्ताव है।